आदेश

अतः उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप साक्ष्य शपथ–पत्र, बयान गवाहान, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, प्रदर्श संख्या 1 लगायत 5 के आधार पर हाल खाता संख्या 573 के हाल आराजी खसरा नंबर 854 रकबा 0.13 है0, 855/1 रकबा 0.11 है0 एवं हाल खाता संख्या 852 के हाल आराजी खसरा नंबर 838 रकबा 0.5700 है0 वाकै ग्राम बिशनगढ़, पटवार हल्का बिशनगढ़ तहसील शाहपुरा जिला जयपुर की जमाबंदी के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खातेदार का नाम रामेश्वर पुत्र गंगल्या हिस्सा 1/2 जाति अहीर (यादव) फौत देह खातेदार का नाम हजफ कर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अन्तर्गत "पुरुष की दशा में उत्तराधिकार के साधारण नियम" की अनुसूचि 2 के अनुसार वादी राजू पुत्र रामेश्वर जाति अहीर को रामेश्वर पुत्र गंगल्या के हिस्से तक का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष इन्द्राज यथावत रहेगा। राजस्व रिकॉर्ड में वादी के नाम का अंकन होने के उपरांत वादी व प्रतिवादीगण के द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत राजीनामे व नजरी नक्शा अनुसार बंटवारे का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। राजीनामा व नजरी नक्शा निर्णय का जुज रहेगा एवं वादी व प्रतिवादीगण उक्त राजीनामे से पाबंद रहेंगे। साथ ही पक्षकारान वादीगण एवं प्रतिवादीगण को हमेशा हमेशा के लिए जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि एक–दूसरे के हिस्से में आई भूमि में किसी भी प्रकार की मजहामत पैदा नहीं करें, बल्कि शान्तिपूर्वक उनके हिस्से की भूमि की काश्त एवं उपयोग व उपभोग करने देवें। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद एवं नक्शा ट्रेस में तरमीन करने के लिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार शाहपुरा को तहरीर जारी हो। पर्चा नियमानुसार जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.07.2015 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजीव कुमार खेदर)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
शाहपुरा, जिला जयपुर

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.